संख्या 784 / व.ग्रा.वि./वि.नि./2002

प्रेषक

डा. आर.एस.टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा देहरादून दिनांक 7 जून, 2002

विषय :– विधान सभा के मा0 सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्र में विकास कार्यो हेतु विधायक निधि का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि विधान सभा के मा0 सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) तक के विकास कार्य कराने हेतु विधायक निधि का गठन किया गया है, इस सम्बन्ध में विधायक निधि की योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्वान्त की एक–एक प्रति एतद्द्वारा संलग्न कर प्रेषित है.

अत अनुरोध है कि विधान सभा के मा0 सदस्यों की अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्वान्त के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीय

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 384 / व.ग्रा.वि. / वि.नि. / दिनांक तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, मुख्य मंत्री उत्तरांचल शासन.
2. निजी सचिव – मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के सूचनार्थ.
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव को सूचनार्थ.
4. सचिव ग्राम्य विकास / वित्त / गोपन उत्तरांचल शासन.
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज पौडी, उत्तरांचल.
6. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल.
7. समस्त सदस्य विधान सभा.
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल.

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

विधान सभा के माननीय सदस्यों को विकास कार्य हेतु विधायक निधि योजना की अवधारणा कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्ग दर्शी सिद्धान्त.

1.1 विधान सभा के मा. सदस्यों द्वारा समय–समय पर यह मांग उठाई जाती रही है कि विकास कार्य हेतु धनराशि नियत की जाय जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास हेतु कार्यो का चयन कर सकें, उत्तरांचल में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति संतुलित विकास के उद्देश्य से तथा जनता की विभिन्न कार्यो की तात्कालिक मांग के संदर्भ में मा. मंत्री परिषद द्वारा प्रति विधायक क्षेत्र हेतु रूपये 50 लाख (रूपये पचास लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई. इस हेतु प्रतिवर्ष रूपये 35.50 करोड़ की विधायक निधि बनायी जायेगी। इससे विकास की गति को और तेज करने के साथ–साथ संतुलित एवं आवश्यकतानुरूप विकास के उद्देश्य की प्राप्ति होगी, जो विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक कदम होगा. विधान सभा के मा. सदस्यों को विकास कार्य हेतु "विधायक निधि" के संदर्भ में निम्नलिखित मार्गदर्शी निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जा रहें हैं

1.2 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा के प्रत्येक मा. सदस्य सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को अपने निर्वाचन के क्षेत्र में प्रति वर्ष 50 लाख की धनराशि तक निर्माण कार्यो को कराये जाने का प्रस्ताव देगें।

योजना की मुख्य विशेषताएं :

2.1 प्रत्येक विधान सभा के मा. सदस्य द्वारा अनुभव की जा रही आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यो का विवरण देगें, जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित करायेंगे अर्थात मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार की स्थापति प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे, जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन विधान सभा के मा0 सदस्यों के सुझाव के अनुसार नगर

निगमों, परिषदों एवं नगर पालिका, पंचायतों द्वारा करवाया जा सकता है। कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसी सरकारी या पंचायती राज संस्थायें होंगी जिन्हें निर्माण कार्यो के संतोषजनक कार्यान्वयन के योग्य मुख्य विकास अधिकारी समझते हैं, इन कार्यो के लिए निजी ठेकेदारों को लगाने पर प्रतिबन्ध है, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यो के निष्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है, जो प्रभाग आवश्यक रूप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते बल्कि जो निर्माण कार्यो के लिए सक्षम भी हैं, मुख्य विकास अधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे, जिसके माध्यम से विधान सभा के मा. सदस्यों द्वारा संस्तुत कोई विशेष कार्य निष्पादित किया जाना है।

2.2 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे, स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जायेगा, इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिये नहीं किया जायेगा. इस निधि का उपयोग सेवा सम्बन्धी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हैं लेकिन इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रख–रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय सम्मलित नहीं किया जायेगा.

2.3 इस योजना से सम्बन्धित धनराशि का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जा सकता है जैसे तटबन्ध और उसमें जलनिकास करने सम्बन्धी किसी छोटे कार्य (माइक्रों हाइडेल वर्क) की लागत आंशिक रूप से करना. ऐसा केवल उसी दशा में किया जाय जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो, इस प्रस्तर के अधीन जहां किसी परियोजना का अंशतः व्यय इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो. परियोजना का वह भाग सुस्पष्ट रूप से पहचान के योग्य हो.

2.4 कभी–कभी कार्यो की प्रकृति के अनुसार उनके निष्पादन में एक वर्ष से अधिक का समय लग सकता है. उन परिस्थितियों में इस योजनान्तर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट

रूप से ध्यान में रखते हुए धनराशि अग्रिम रूप से अथवा एक से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है.

2.5 विधान सभा के मा. सदस्य द्वारा चयनित कार्य के स्थल का मा. सदस्य के बिना बदला नहीं जा सकता है.

2.6 इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गयी भूमि भी हो सकती है. केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस संस्था या व्यक्ति को भूमि अभ्यर्पित की है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए. जिला प्राधिकारियों को यथा शीघ्र यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण नियमों के अन्तर्गत हो. जिस अभ्यर्पित/स्थानान्तरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया हो, "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति को तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अभ्यर्पण कानूनी वैद्यता प्राप्त करें. साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण किया गया हो.

2.7 इस योजना के अन्तर्गत कराए जा सकने वाले कार्यो की दृष्टान्त सूची परिशिष्ट–1 में दी गयी है. इस योजना के अन्तर्गत जिन कार्यो को नहीं कराया जा सकता है, उनकी सूची परिशिष्ट–2 में दी गई है.

2.8 इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है.

2.9 मुख्य विकास अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यो के रख–रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण से किया जाय.

निर्माण कार्यो की स्वीकृति और निष्पादन :

3.1 निर्माण कार्यो को अभिज्ञापित करने, उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने के पहले मुख्य विकास अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित मा. सदस्य की सहमति प्राप्त करें. यदि निर्माण कार्यो को करवाये जाने के लिए कोई तकनीकिकरण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हो, तो सामान्यत: विधान सभा के मा. सदस्यों के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन मामलों में मुख्य विकास अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि मा. सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्य निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है उनके सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट सम्बद्ध मा. सदस्यों को भेजेंगें तथा उनकी एक–एक प्रति प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, प्रदेश सरकार को भी सूचनार्थ भेजेंगे

3.2 जहां तक सम्भव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यो को सम्बन्धित मा. सदस्यों को उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए.

3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाना है. यदि आवश्यकता पड़े तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूरा एवं अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिलों के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देना चाहिए.

3.4 एक से अधिक जिलों में फैले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वह मुख्य विकास अधिकारी जो प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी धनराशि को प्राप्त करते हैं, मा. सदस्यों की इच्छानुसार अपेक्षित धनराशि अन्य सम्बन्धित जिले को भी उपलब्ध करवायेंगे ताकि अन्य जिले सम्मिलित कर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सुझाये गये निर्माण कार्यो को कार्यान्वित किया जा सके.

3.5 चूंकिं इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जल आपूर्ति और आवास निगम आदि प्रदेश सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जायेगा. अतः सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों से समन्वय और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे. उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण, प्रबन्ध सम्बन्धी आरम्भिक कार्यो, कार्यान्वयन पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का प्रशासनिक व्यय, सेंटेज आदि नहीं लेगें.

3.6 इस योजना के लिए राज्य में ग्राम्य विकास नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को सामान्य निर्देश जारी किये जायेंगें, कि वे मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें अग्रसारित किये गये निर्माण कार्यो में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित करायें, ऐसे निर्देशों की प्रतियाँ मा. सदस्य विधान सभा को भी निर्वाचन क्षेत्रों तथा प्रदेश में स्थित उनके पते पर भेजी जाये।

3.7 इस योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यो पर सामान्य वित्तीय और लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएं इस मार्गदर्शी सिद्धान्तों विशेषकर जिनका उल्लेख पैरा 3.3 में किया गया है, को ध्यान में रखते हुए लागू होगी।

3.8 इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 50 लाख रू0 की धनराशि का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है. यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा. विधान सभा सदस्य बदल सकतें हैं, और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहें कुछ भी हों, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणधीन कार्यो पर कार्यवाही निरंतर जारी रखनी चाहिए. मुख्य विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्व और वर्तमान मा. विधान सभा सदस्यों तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे.

3.9 जब कभी मा. विधान सभा सदस्य किसी भी कारण परिवर्तित होंगे, कार्यो के क्रियान्वयन में यथा सम्भव निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये जायेंगे.

(क) यदि पूर्ववर्ती मा. विधान सभा सदस्य द्वारा अभिभाषित कोई कार्य निमार्णधीन है तो उसे पूरा किया जायेगा.

(ख) यदि पूर्ववर्ती विधान सभा सदस्य द्वारा अभिभासित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से लम्बित पड़ी हो तो उसका भी निष्पादन किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि यथोचित मापदण्डों के अनुरूप हों।

(ग) यदि पूर्ववर्ती मा विधान सभा सदस्य किसी कार्य को अभिज्ञापित कर चुके हों परन्तु इसके पहले कि उप–प्रस्तरों में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका निष्पादन शुरू नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती मा. विधान सभा सदस्य उनका अनुमोदन करेंगे।

धनराशि का अवमोचन :

4.1 मा. विधान सभा सदस्यों से यह अपेक्षा की जाय कि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दस लाख रूपये की लागत वाले कार्यो का प्रस्ताव ही रखें.

4.2 इस धनराशि से निर्माण कार्य कराये जाने होंगे अतः अन्तरित की जाने वाली धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी–

प्रथम त्रैमास में	35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास में	15 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास में	35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास में	15 प्रतिशत

यह धनराशि जिलाधिकारी के पी.एल.ए. में रखी जायेगी और सम्पन्न कराये गये कार्य के वास्तविक व्यय के सापेक्ष उसी सीमा तक अथवा त्रैमास की सीमा जो भी कम हो, पी.एल.ए से आहरित की जायेगी.

पी.एल.ए. में रखी जाने वाली धनराशि का उपभोग वित्तीय वर्ष में ही होगा. विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि के ऑडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर ही किया जायेगा. प्रत्येक वर्ष में किये गये निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से इस निधि से कराये जा रहे कार्यो के विवरण (भौतिक एवं वित्तीय प्रगति) की सूचना जनसाधारण को शुल्क लेकर कार्यदायी संस्था/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी.

4.3 धनराशि के अवमुक्त करते समय ग्राम्य विकास विभाग सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यो को पूरा कराने के लिए अपेक्षित धनराशि का आंकलन करेगा. कार्यो की प्रकृति के आधार पर धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जायेगी और तब नये निर्माण कार्यो के लिए आवंटन पर विचार किया जायेगा.

4.4 किसी एक कार्य के लिए धनराशि को तत्परता के साथ अवमुक्त किया जाना चाहिए, निर्माणाधीन कार्यो की लागत की धनराशि एक मुश्त में अवमुक्त की जायेगी. यह धनराशि मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा अवमुक्त की जायेगी.

4.5 यदि सम्बन्धित मा. सदस्य विधान सभा विधायक निधि का उपयोग करने में रूचि रखते है तो वह ग्राम्य विकास विभाग को सूचित करेंगे, जिससे कि निधि का निर्गम वापस लिया जा सके.

अनुश्रवण व्यवस्था :

5. इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यो ने प्रभावी रखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है. मुख्य विकास अधिकारी का इन कार्यो में से कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो का निरीक्षण करना चाहिए तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यो का दौरा

करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है. इसी तरह उप–क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों को निर्माण कार्यों के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का भी निकट अनुश्रवण करना चाहिए. ऐसे दौरे और अनुश्रवण अधिक से अधिक लाभप्रद हों. इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को चाहिए कि वे इसमें माननीय विधान सभा सदस्यों को भी शमिल करें. मा. विधान सभा और ग्राम्य विकास विभाग राज्य सरकार को दो महीने में एक बार उपयुक्त अनुश्रवण की रिपोर्ट भी उसके द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा एक निरीक्षण सूची तैयार की जानी चाहिए. जिसमें निष्पादन, अभिलेखों के अभिकरणों के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय कर्मचारी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या निर्धारित हो.

5.1 ग्राम्य विकास विभाग कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं नवीनतम स्थिति की सूचना सदैव रखेगा. प्रत्येक जनपद में डी.आर.डी.ए. मे निर्माण कार्यों के अध्ययन की सूचना रहेगी. जिसे कम्प्यूटरीकृत कर प्रति माह फ्लापी एवं हार्डडिस्क पर शासन को प्रेषित की जायेगी.

5.2 इस योजना से संबंधित अनुश्रवण प्रपत्र तथा अन्य बिन्दु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्णीत किये जायेंगे.

5.3 मुख्य विकास अधिकारियों को चाहिए कि वे इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में सूचना इन रिपोर्टों की प्रतियां मा0 विधान सभा सदस्यों को भी भेजी जायेंगी.

5.4 इस योजना के कार्यान्वयन में निरन्तर सुधार लाने के लिये नियोजन विभाग समूहों में मुख्य विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है, जिसमें विधान सभा सदस्यों को शामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा.

सामान्य :

6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष मा. विधान सभा सदस्य द्वारा विधायक निधि से करवाया गया है. मा. विधानसभा सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगवाया जाय.

6.2 निर्माण कार्यो के निष्पादन के दौरान मा. विधान सभा सदस्यों को किसी ऐसी समस्या / स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका उल्लेख इन मार्ग सिद्धान्तों में नहीं किया गया है.

6.3 कभी किसी भी कारणवश मा. विधान सभा सदस्य परिवर्तित हैं और पूर्ववर्ती मा. विधान सभा सदस्य द्वारा कोई भी कार्य अभिज्ञापित नहीं किया गया हो तो उन पूर्ववर्ती मा. विधान सभा सदस्य के सम्बन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती मा. विधान सभा सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित 50.00 लाख रूपये की धनराशि से अतिरिक्त नहीं उपलब्ध होगी।

विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यो की दृष्टान्त सूची :

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हो. ऐसे भवन यदि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका निर्माण कराया जा सकता है.

2. गांवों, कस्बों अथवा नगरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हो.

3. गांवों कस्बों तथा नगरों में सड़कों का निर्माण जिससे पार्ट–सड़कें, सम्पर्क सड़कें, लिंक सड़कें आदि भी शामिल हैं. अति विशिष्ठ उन कच्चे मार्गो का भी निर्माण करवाया जा सकता है जिनकी स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की जा रही जरूरत पूरी करने के लिए सम्बद्ध माननीय सदस्य सहमत हों.

4. उपर्युक्त सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों / नलकूपों की नालियों एवं नहरों पर पुलियों/पुलों का निर्माण.

5. वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रम गृहों का निर्माण.

6. मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेल–कूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेल–कूद सम्बंधी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण व्यायाम केन्द्रों, खेल–कूद संघों, शारीरिक शिक्षा–प्रशिक्षण संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम फैसिलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति हैं.

7. सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण.
8. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय.

9. शवदाह/शमशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढांचों, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड सेमेंट्री का निर्माण.

10. सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण.

11. नाले और गटर.

12. पैदल पथ, पगडंडियों और पैदल पुलों का निर्माण.

13. शहरों, कस्बों तथा गांवों की गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी पगडंडियों, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा कारीगरों हेतु सामान्य कार्यशाला शेडों का प्राविधान.

14. आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय.

15. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पड़ाव/शेडों का निर्माण.

16. पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र.

17. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरें मशीन, एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते–फिरते दवाखाना की व्यवस्था करना.

18. बारात घर, चौपाल/रैनबसेरे का निर्माण करवाना.

19. सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणाली/साधन उपयोगों का निर्माण।

20. इलैक्ट्रोनिकी परियोजनायें (कृपया पैरा 2.2 का भी सन्दर्भ लिया जाय)
    - (क) सूचना फुटपाथ.
    - (ख) उच्च विद्यालयों में हैल्थ क्लब/उच्च विद्यालयों हेतु कम्प्यूटरीकरण.
    - (ग) सिटीजन बैण्ड रेडियो
    - (घ) ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना.

विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यो की सूची :

1. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों को सम्बंधित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण

2. वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित कार्य.

3. किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोडकर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य.

4. अनुदान और ऋण।

5. स्मारक या स्मारक भवन.

6. किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार.

7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि.

8. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति उन परिसम्पत्तियों को छोड़कर जो अनुमोदन योजनाओं के भाग हैं.

9. धार्मिक पूजा के लिये स्थान.